छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 48/2006</u>

श्री गौतमचंद जैन,
कामठी लाईन,
देना बैंक के सामने,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मंडल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मंडल,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 16 मार्च 2007)

श्री गौतमचंद जैन निवासी–राजनांदगांव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव से आवेदन पत्र दिनांक 23–03–2006 के द्वारा 11 बिन्दुओं की जानकारी चाही, जिसमें कि जंगल काटने की अनुमति मार्किंग का कार्य कुल कितने पेड़ मार्क किये गये, सेम्पल प्लाट कब डाले गये, श्रेणीवार जंगलों में कितने वृक्ष होते हैं, वृक्षों को काटने के पूर्व किन अधिकारियों के द्वारा सत्यापित किया गया, आदि की जानकारी चाही गई। जन सूचना अधिकारी, मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव के द्वारा कुल 35 पेज की जानकारी पत्र दिनांक 13–04–2006 से अपीलार्थी को दे दी गई। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वन विकास निगम को दिनांक 10–05–2006 को अपील प्रस्तुत की गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष टीप प्रस्तुत की गई, जिसमें कि यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को जानकारी देने के पूर्व दिनांक 10–04–2006 को अभिलेखों का अवलोकन कराया गया तथा जिन अभिलेखों की उसके द्वारा मांग की गई, उसकी छायाप्रति उन्हें उपलब्ध कराई गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पत्र दिनांक 05–04–2006 के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वन विकास निगम, रायपुर के द्वारा अपीलार्थी को मंडल महाप्रबंधक के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी प्रेषित की। अपीलार्थी के द्वारा प्रधान महाप्रबंधक मुख्यालय के समक्ष आवेदन दिया। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि विभाग के द्वारा मार्किंग का कार्य परिवहन निविदा के बाद किया गया है। इस कारण निविदा के समय दी जाने वाली अनुमानित मात्रा एवं वास्तविक उत्पादित मात्रा में परिवर्तन है। मार्किंग के खर्च को बचाते हुये हेराफेरी की गई है। सेम्पल प्लाट भी निविदा के बाद डाले गये हैं,

तथा निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। विभाग के द्वारा यह बतलाया गया है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जंगलों में प्रति हेक्टेयर वृक्षों की संख्या निश्चित नहीं रहती। विभाग के द्वारा यह बतलाया गया है कि वर्किंग प्लान के अनुसार कार्यवृत्तवार स्वीकृत की गई, जबकि विभाग के द्वारा पर्यावरण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। विभाग के द्वारा किये गये मार्किंग कार्य का सत्यापन भी नहीं किया गया। प्रवास पंजी के संबंध में उल्लेख किया गया है कि प्रवास पंजी नहीं बनाई गई है, जबकि प्रवास पंजी अनिवार्य रूप से बनाई जाती है, जिसमें कि अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण टीप तथा वृक्षों के सत्यापन के संबंध में उल्लेख किया जाता है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि दी गई जानकारी सही नहीं है तथा शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाई जा रही है। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि अपीलार्थी को अभिलेख अवलोकन करने के उपरांत उसके द्वारा वांछित सभी जानकारी प्रदान कर दी गई है। चूंकि प्रवास पंजी नहीं बनाई गई, अतः उसकी प्रति दिया जाना संभव नहीं था, शेष सभी जानकारी कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दी गई। अपीलार्थी के परिवहन ठेका निष्पादित नहीं करने के कारण मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना ने उनके 03 ठेके उद्द कर राशि राजसात की कार्यवाही की थी, इस कारण अपीलार्थी द्वेषवश अनावश्यक रूप से जानकारी मांग रहा है। अपीलार्थी से राशि वसूल करने की कार्यवाही जारी है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र के संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार जानकारी दी जा चुकी है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि दी गई जानकारी के अनुसार वास्तव में कार्य नहीं हुआ है, तथा इससे शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदक को उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जानकारी दी जाती है, उक्त जानकारी का आधार वैधानिक है अथवा नहीं है इस संबंध में आयोग को विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यदि विभागीय अधिकारियों के द्वारा गलत अथवा विधि के विपरीत कार्य किया गया है तो आवेदक उसके लिये सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर पृथक से कार्यवाही कर सकता है। जहां तक प्रवास पंजी का संबंध है, अपीलार्थी को यह सूचित कर दिया गया है कि प्रवास पंजी नहीं बनाई गई है।

5/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिन्दुवार जानकारी दी गई है। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे स्पष्ट हो सके कि जानकारी उपलब्ध होते हुये भी नहीं दी गई अथवा असत्य जानकारी दी गई। चूंकि जानकारी निर्धारित अवधि में प्रदान कर दी गई है, अतः प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कोई आधार नहीं है।

6/ अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त